P-1 R.M.M. Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal
Part time lecturer

Subject - Contract - I
part - I

धारा-11. संविदा करने के लिए कौन सक्षम है
हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है, प्राप्तवय हो, और जो स्वस्थचित हो और किसी विधि द्वारा, जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने से निरर्हित (disqualified) न हो।

Every person is competent to contract who is of the age of Majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject.

यह धारा संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध करती है। ऐसा हर व्यक्ति जो-
(i) प्राप्तवय है
(ii) स्वस्थचित है, एवं
(iii) किसी विधि द्वारा, जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने से निरर्हित नहीं है, संविदा करने के लिए सक्षम है।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविदा करने के लिए सक्षम होने से अभिप्राय किसी व्यक्ति के वयस्क एवं स्वस्थचित होने से है। इसके विपरीत निम्न व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है - (1) अवयस्क (2) अस्वस्थचित व्यक्ति (3) अन्य व्यक्ति जो विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है।

वयस्क कौन है (who is Major) →

आँग्ल-विधि के अर्न्तगत प्रत्येक व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने के बाद वयस्क माना जाता है। परन्तु भारतीय विधि में भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वयस्क समझा जाता है, परन्तु भारतीय वयस्कता (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार अब प्रत्येक मामले में वयस्कता की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। लेकिन जहाँ न्यायालय द्वारा किसी अवयस्क का संरक्षक नियुक्त किया जाता है, वहाँ ऐसा व्यक्ति, जब तक 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, अवयस्क बना रहता है।

Scanned with CamScanner

P-2 संविदा करने के लिए कौन सक्षम है (Who is competent to contract)

जहाँ संविदा करने वाले व्यक्ति की आयु का प्रश्न अन्तर्निहित हो, वहाँ आयु अर्थात जन्म तिथि के तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है। जन्मतिथि को शपथपत्र, जन्म पत्री, विद्यालय के अभिलेख, मतदाता सूची आदि अनेक माध्यमों से साबित किया जा सकता है।

विधि जिसके वह अधीन है (Law to which he is subject) — वयस्कता की आयु व संविदा करने की योग्यता का निर्धारण उस विधि के अनुसार होता है जहाँ का वह अधिवासी (Law of Domicile) है, न कि उस स्थान की विधि के अनुसार जहाँ पर संविदा की जाती है (Lex loci contractus) इस संदर्भ में कशीबा बनाम श्रीपत का मामला उल्लेखनीय है। उस वाद में कशीबा एक हिन्दू विधवा, 16 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु की थी। उसका पति ब्रिटिश भारत का अधिवासी था। पति की मृत्यु के पश्चात् वह कोल्हापुर में, जो ब्रिटिश भारत के बाहर था, निवास करती थी। उसने वहाँ पर एक बॉण्ड निष्पादित किया। उत्तरदायित्व की मान्यता के विषय में प्रश्न यह उठा कि क्या कशीबा कोल्हापुर की विधि के अनुसार बाधित होगी या ब्रिटिश भारत की विधि के अनुसार ? क्योंकि पत्नी का अधिवास पति के अधिवास से निर्धारित होता है जब-तक कि उसे परिवर्तित न किया जाय। कोल्हापुर के विधि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वयस्क होता है। यदि वह वयस्क है तो बाण्ड के प्रति उत्तरदायित्व है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा करने की क्षमता अधिवास के अनुसार नियमित होती है न कि उस देश की विधि के अनुसार जहाँ पर संविदा की गई है। पति के अधिवास के आधार पर वह ब्रिटिश भारत की अधिवासी होने के कारण बाण्ड के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश भारत में वयस्कता की उम्र 18 वर्ष है।

Scanned with CamScanner